ई0मेल द्वारा
Phone & Fax:– 0135-2530431, 01352531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–406 /37/ याता0(ख)–उ0/2017 दिनांक 04/07/2017

सेवा में,

श्री दिनेश कुमार पुनेठा,
अनु सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 507/III(3)/17–22(सामान्य)/2014 दिनांक 29.06.2017।

महोदय,

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) इस कार्यालय को गोरखपुर इन्वायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप द्वारा सुझाव एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी, प्राप्त आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) का अध्ययन करने के उपरान्त अनुमोदित कर, आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न -- एस0ओ0पी0 की अनुमोदित
प्रति (28 पृष्ठ)।

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः– 1. श्रीमती रचना थपलियाल, अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुमोदित एस.ओ.पी. की प्रति विभागीय पुस्तकालय में सुरक्षित रखें।
2. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय)

Ex EN
महोदय उक्त SOP की एक प्रति विभागीय web site पर अपलोड किया जाना उचित होगा। अतः आदेशार्थ प्रेषित
CE(H)
upload करना चाहें
Net पर ~~क्या~~ GO पर तथा आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत पृष्ठ upload करें
EE

मानक संचालन प्रक्रिया (ड्राफ्ट)

approved

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

आपदा शमन एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) देहरादून, उत्तराखण्ड

विवरणिका

तालिका की सूची

प्रस्तावना		4
1	परिचय	5
2	विभाग के बारे में	6–8
3	आपदा के दौरान विभाग का आकस्मिक सहायता कार्य	9
4	मानक संचालन प्रक्रिया	10–11
5	संस्थागत तंत्र	12–13
6	पूर्व चेतावनी प्रणाली	14–16
7	उत्प्रेरक तंत्र	17–18
8	विभिन्न चरणों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य के दिशा–निर्देश	19–22

संलग्नक

- विभागीय ई0एस0एफ0 24–25
- सरकारी आदेश 26–30
- मानव एवं भौतिक संसाधन
- क्षति आकलन प्रपत्र

अभिस्वीकृति

आपदा प्रबन्धन के लिये उत्तम एवं प्रभावी तंत्र, ग्राम स्तरीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का है, जिसका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा–आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए सभी विभागों एवं संगठनों को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवीकृत व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। इस हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन उत्तराखण्ड द्वारा **गारेखपुर इन्वायरनमेन्टल एक्शन** ग्रुप को राज्य स्तर पर विभागों के मानक संचालन प्रकिया तैयार किये जाने हेतु चयनित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–39 में निहित प्राविधानों के तहत विभागीय मानक संचालन प्रकिया की रूपरेखा का अनुमोदन प्राप्त कर संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में **गारेखपुर इन्वायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप** विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय है। जिसमे विभागीय मानक संचालक प्रकिया को एक व्यवहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए विभाग से समय–समय पर दिये गये सुझावों को समाहित किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है ,कि विभागीय प्रकिया निर्माण का यह प्रयास भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित,

30/6

(आर0सी0 पुरोहित),
मुख्य अभियन्ता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

तालिका की सूची

तालिका 1 : विभिन्न आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी देने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं

तालिका 2 : बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

तालिका 3 : भूस्खलन आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

तालिका 4 : हिमस्खलन आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

तालिका 5 : भूकम्प आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

प्रस्तावना :

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाओं से विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और 65 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण पर्यटकों के लिए यह एक रूचिकर स्थान है। जबकि दूसरी तरफ त्वरित बाढ़, भूस्खलन एवं भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। राज्य स्तर पर स्थापित कार्य संचालन केन्द्रों, जिला प्रशासन एवं अन्य संस्थानों को मजबूत करते हुए तथा राज्य एवं जिले स्तर के विभागों, समुदाय एवं अन्य हितभागियों की क्षमता अभिवृद्धि के माध्यम से आपदा प्रबन्धन प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है। राज्य के आपदा से सम्बन्धित मुख्य विभागों की आपदा प्रबन्धन कार्य में सक्रियता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त आपदा के समय अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों तथा कार्य संचालन की एक व्यवस्थित प्रणाली एवं अन्य विभागों से समन्वयन की भी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के आपदा शमन एवं प्रबन्धन केन्द्र ने आपदा के सापेक्ष रिस्पान्स करने के क्रम में विभागीय क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक पहल की है और गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप के साथ मिलकर लोक निर्माण विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है।

इस प्रक्रिया में राज्य की पहाड़ी एवं मैदानी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग की कार्यप्रणाली को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर निर्गत विभिन्न दिशा–निर्देशों, अधिनियमों तथा योजनाओं जैसे – आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी एसओपी दिशा–निर्देश, बिहार राज्य की विभिन्न आपदाओं पर जारी एसओपी, हिमाचल प्रदेश की एसओपी एवं आईआरएस दिशा निर्देशों का सहयोग लिया गया है। इसके अतिरिक्त मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में लगी टीम द्वारा विभागों की वर्तमान कार्य प्रणाली तथा व्यवस्था एवं जिले की आपदाओं को समझने हेतु समय–समय पर विभागीय बैठकें की गयीं। राज्यस्तर पर विभागों के साथ बैठकें करने के पश्चात् जिले स्तर पर विभाग के ढांचे तथा कार्य को समझने के लिए तीन जनपदों – हरिद्वार, पिथौरागढ़ व रूद्रप्रयाग जिले का चयन सैम्पल जिले के तौर पर किया गया। जिलों का चयन करने में इस बात का ध्यान रखा गया कि मैदान एवं पहाड़ दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इन जिलों में सम्बन्धित सभी विभागों में अधिकारियों के साथ बैठकें की गयी एवं विभागीय गतिविधियों, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों तथा समय को समझने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही आपदा के दौरान विभाग की भूमिका, विभाग में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों, क्षमताओं एवं कमजोरियों के उपर भी चर्चा की गयी। इस दौरान आपदाओं से हुई क्षति/नुकसान, मानव संसाधन, योजनाओं एवं वित्त आदि के उपर आंकड़े एकत्र करने का भी कार्य किया गया।

इस सघन अभ्यास के बाद, तैयार की गयी मानक संचालन प्रक्रिया को समय–समय पर समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। यहां पर यह उल्लिखित करना भी आवश्यक होगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया की प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह समीक्षा कर तद्नुसार संशोधन करना अनिवार्य व आवश्यक प्रक्रिया होगी।

अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि यह मानक संचालन प्रक्रिया आपदा परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में विभाग की मदद करेगी।

1 परिचय :

आपदाएं एक प्राकृतिक एवं स्वतः होने वाली घटनाएं हैं और इनको पूर्णतः रोका नहीं जा सकता है, परन्तु विकास के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के बीच बेहतर समन्वय, नियोजन एवं प्रबन्धन स्थापित करते हुए आपदाओं से होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं विभागों की अच्छी तैयारी से न केवल मानव क्षति को कम किया जा सकता है, वरन् इससे आपदाग्रस्त समुदाय को शीघ्रता के साथ पुनः स्थापित होने में भी बहुत सहायता मिलती है। एक प्रभावी रिस्पान्स प्रणाली के प्रमुख तत्व निम्नवत् हैं –

- एकीकृत संस्थागत व्यवस्था
- पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्रसारित करने की स्थिति
- सुरक्षित संचार प्रणाली
- प्रभावित समुदायों को त्वरित गति से बाहर निकालना
- विशिष्ट रिस्पान्स दलों की त्वरित तैनाती एवं
- विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय एवं ताल–मेल

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विभागों/एजेन्सियों एवं उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदेहियों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आपदा अथवा आपदा की स्थितियों में रिस्पान्स करने हेतु उन्हें क्या विशिष्ट कार्य करने होंगे।

2 विभाग के बारे में :

वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बने उत्तराखण्ड राज्य दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तर–पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। कुल 53483 वर्ग किमी0 में विस्तारित राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ों पर स्थित है। भौगोलिक रूप से यह मध्य हिमालयन जोन में $77^{0}34'$ व $81^{0}02'$ पूर्वी अक्षांश व $28^{0}43'$ से $31^{0}27'$ उत्तरी देशान्तर पर अवस्थित है।

लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) राज्य में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के नियोजन, निर्माण और रख–रखाव हेतु उत्तरदायी है। राज्य की सीमाओं से चीन एवं नेपाल की सीमा लगे होने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यह राज्य राष्ट्रीय महत्व रखता है और इस कारण सीमावर्ती इलाकों में राज्य एवं जनपद मार्गों का रख–रखाव करने वाली लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है।

लोक निर्माण विभाग समय–समय पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों, कायदे–कानूनों के अनुसार कार्य करती है और राज्य में विभाग के बहुत से कार्य संविदा के आधार पर होते हैं।

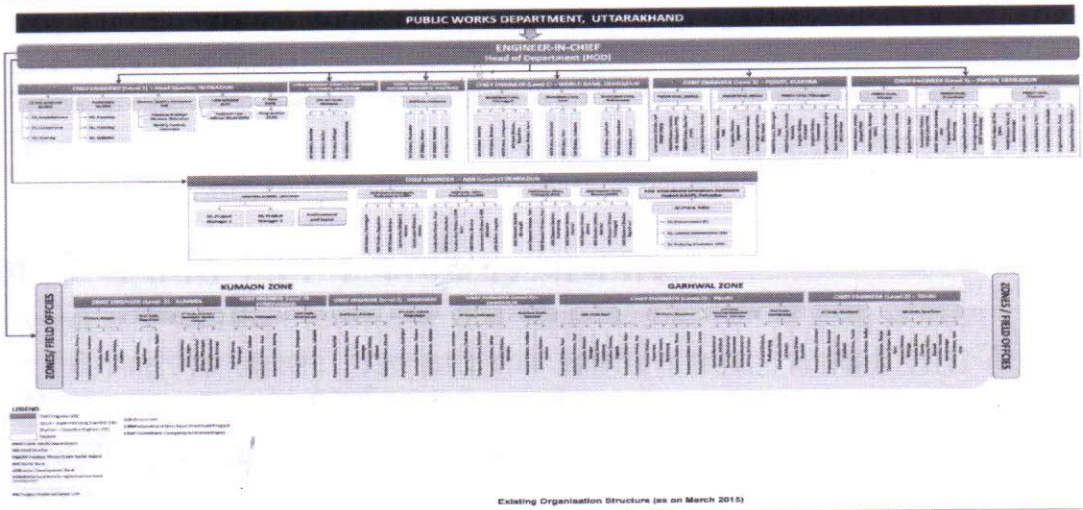

Existing Organisation Structure (as on March 2015)

विभाग के मुख्य कार्यः

- राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं रख–रखाव किया जाना।
- सड़क के साथ–साथ पुलों एवं जल निकासी कार्यों का निर्माण एवं रख–रखाव किया जाना।
- जिले के अन्दर सार्वजनिक एवं सरकारी भवनों का निर्माण एवं रख–रखाव किया जाना।

विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं :

- एडीबी सामान्य डिवीजन (उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तहत) (USRIP)
- एडीबी आकस्मिक डिवीजन (उत्तराखण्ड राज्य आकस्मिक सहयोग कार्यक्रम) UEAP (R & B) :– इस डिविजन का गठन राज्य में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद हुआ।
- पीएमजीएसवाई डिवीजनः–
- नेशनल हाइवे डिवीजन
- वर्ल्ड बैंक डिविजन (उत्तराखण्ड आपदा पुर्ननिर्माण कार्यक्रम) (UDRP)

प्रत्येक डिवीजन का मुखिया एक अधिशासी अभियन्ता होता है। प्रत्येक डिवीजन के कार्य एवं क्षेत्र बंटे हुये होते हैं और वे अपने–अपने हिस्सों में आने वाले प्रत्येक तरह की सड़कों (राष्ट्रीय, राज्य, मुख्य जिला अथवा अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों) के निमार्ण एवं रख–रखाव के प्रति मूलरूप से जवाबदेह होते हैं। जबकि एडीबी UEAP (R & B) एवं UDRP (R & B) आकस्मिक डिवीजन वर्ष 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुर्ननिर्माण के लिए गठित की गई है।

3 आपदा के दौरान विभाग का आकस्मिक सहायता कार्य (Emergency Support Function (ESF)

किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत विभाग द्वारा किया जाने वाला कार्य विभाग के आकस्मिक सहायता कार्य (Emergency Support Function) के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आपदा/जोखिम की स्थिति में विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए विभाग के अधिकार क्षेत्र तथा उसकी क्षमताओं को भी स्पष्ट करता है। साथ ही साथ आपदा की स्थिति के विभिन्न चरणों में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की संचालन प्रक्रिया एवं अन्य विभागों के साथ सहयोग व समन्वय को भी परिभाषित करता है। इस दस्तावेज में उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिउत्तर करने हेतु दिशा–निर्देश के तौर पर आकस्मिक सहायता कार्यों एवं उसकी संचालन प्रक्रिया को विकसित किया गया है (संलग्नक 1)।

यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य के सन्दर्भ में यह आकस्मिक सहायता कार्य एक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत् ही सम्पादित किया जाना होगा।

4 मानक संचालन प्रक्रिया (Standerd Operation Prpceedure (SOP)

आपदाओं में मानक संचालन प्रक्रिया निर्देशों का एक समूह है, जो आपदा की स्थितियों में आकस्मिक सहायता कार्य के अन्तर्गत विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के मानकों को परिभाषित करता है। यह मानक संचालन प्रक्रिया किसी भी प्रकार एवं किसी भी तीव्रता की आपदाओं के आने की स्थिति में भारत सरकार के नियंत्रण में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों व एजेन्सियों द्वारा रिस्पान्स करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्यों की व्यापक रूप से व्याख्या राज्य स्तर पर करता है। इसके साथ ही इस दस्तावेज को और व्यापकता प्रदान करते हुए आपदाओं की रोक–थाम, शमन, आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा के बाद पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के चरणों में विभाग द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों एवं उसकी समयावधि को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य

मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के निम्नवत् उद्देश्य हैं –

- किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में रिस्पान्स करने के लिए मुख्य तौर पर किये जाने वाले कार्यों की सूची के साथ ही पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं राहत कार्यों के लिए आवश्यक उपायों को सरल व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से सम्बन्धित सभी विभाग एवं संस्थाएं प्रत्येक स्तर पर स्वयं द्वारा किये जाने वाले कार्यों से भली–भांति परिचित हैं तथा उन सभी में निरन्तर एवं प्रगाढ़ समन्वय स्थापित रहे।
- सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा अपने सामान्य समय की जिम्मेदारियों/कार्यों के अन्तर्गत आपदा के समय किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक कार्यों को एकीकृत एवं इंगित करना ताकि वे उसके अनुसार अपनी विभागीय योजना को तैयार कर सकें, उसकी समीक्षा कर सकें एवं तद्नुसार रणनीतिक नियोजन कर सकें।

राज्य एवं जिले स्तर पर विभाग की आकस्मिक सहायता कार्य एवं मानक संचालन प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य विभाग

- राज्य स्तर पर इस एसओपी से सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी निम्नवत् होगें –
  - उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग – **प्राथमिक संस्था/विभाग**
  - राष्ट्रीय राजमार्ग
  - सीमा सड़क संगठन
  - एम0ई0एस0

  } **सहयोगी**

मानक संचालन प्रक्रिया में शामिल किये गये चरण

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रभावी एवं समुचित रिस्पान्स करने के लिए आपदा प्रबन्धन के निम्न पांच चरणों को एस0ओ0पी0 में शामिल किया गया है –

(क) रोक–थाम एवं भामन :

इस चरण के अन्तर्गत मुख्य रूप से विभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले सामान्य विकासात्मक कार्यों को शामिल किया जाता है।

(ख) पूर्व तैयारी एवं चेतावनी :

इस चरण के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा की स्थिति के दौरान रिस्पान्स करने हेतु नियोजन, क्षमता अभिवर्धन एवं पूर्व तैयारी से सम्बद्ध अन्य सभी आवश्यक उपायों को शामिल किया गया है। इसी चरण के अन्तर्गत खोज एवं बचाव दलों को तैयार करना, संसाधनों को जुटाना, खोज एवं बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों को तैयार रखना, क्षमता अभिवर्धन करना, माकड्रिल/ पूर्वाभ्यास आदि का आयोजन करना आदि भी शामिल हैं।

पूर्व चेतावनी के अन्तर्गत आपदा के सन्दर्भ में समय से गुणवत्तापूर्ण चेतावनी को सम्बन्धित हितभागियों तक पहुंचाने के उपायों को शामिल करना प्रमुख तौर पर समाहित है। ताकि उन सूचनाओं/चेतावनियों के आधार पर बचने के उपायों को अपनाकर मानव एवं पशु जीवन को बचाया जा सके और सम्पत्ति के नुकसान को कम किया जा सके। इस चरण के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा या आसन्न खतरा होने पर सभी सम्बन्धित एजेन्सियों को तत्काल आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित/अधिसूचित किया जायेगा।

(ग) प्रतिउत्तर/रिस्पान्सः

इस चरण में खोज, बचाव एवं निकासी के उपायों द्वारा प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किये जाने वाले सभी आवश्यक उपाय शामिल होंगे।

(घ) आपदा के बाद राहत कार्य :

इस चरण में प्रभावित समुदायों की मूलभूत आवश्यक आवश्यकताओं जैसे खाद्य, पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वस्त्र, आवास आदि को पूरा करने के लिए तात्कालिक राहत एवं सहायता प्रदान करने के आवश्यक उपायों को शामिल किया जायेगा।

(च) पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन :

इस चरण के अन्तर्गत स्थिति को यथावत् बनाये रखने तथा व्यवस्था को पुनःस्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों को शामिल किया जायेगा।

सामान्यतः मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत शमन, पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन हेतु किये जाने वाले संरचनात्मक व लम्बी अवधि के कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है, परन्तु इस नवीनीकृत दस्तावेज में संरचनात्मक एवं

लम्बी अवधि के कार्यों को भी शामिल किया गया है ताकि समय–समय पर उनकी निगरानी एवं समीक्षा की जा सके। यह दस्तावेज इन कार्यों के गुणवत्तापूर्ण सम्पादन हेतु एक निगरानी उपकरण के रूप में भी काम करेगा।

मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा, पुनरावलोकन तथा अद्यतन करना

- यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस एसओपी में दिये गये सभी मानक आवश्यक तो हैं, परन्तु उन्हें अन्तिम नहीं माना जाना चाहिए। आकस्मिक सहायता कार्य के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विभाग एवं संगठनों के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार करना आवश्यक होगा, ताकि इसके अनुसार ही प्रत्येक अपने लिए निर्धारित कार्यों को समझते हुए तद्नुसार कार्य कर सके।
- मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में सम्पन्न की जायेगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की नीतियों एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (www.ndma.gov.in) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप लोक निर्माण विभाग अपनी मानक संचालन प्रक्रिया को समीक्षा के दौरान अद्यतन करेगा।

5 संस्थागत तंत्र

किसी भी आपदा के बाद बचाव, राहत एवं पुनर्स्थापन की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला प्रशासन की होती है। जबकि राज्य सरकार का कार्य भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना तथा परिवहन एवं पूर्व चेतावनी के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना होता है। अथवा आपदा की तीव्रता बहुत अधिक होने की स्थिति में, जिला प्रशासन की क्षमता कम होने की स्थिति में राज्य सरकार प्रत्यक्ष तौर पर आपदा से निपटने के विभिन्न कार्यों में संलग्न होती है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार, आपदा प्रबन्धन के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत तंत्र की बात की गयी है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्र, राज्य एवं जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को इंगित किया गया है। आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति एवं राज्य नीति में आपदा के दौरान रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न संस्थाओं की जिम्मेदारियों एवं जवाबदेहियों को व्याख्यायित किया गया है।

आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Response System (IRS))

किसी भी आपदा की परिस्थिति से निपटने के लिए मानवीकृत तरीके से कार्यों को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित करने की प्रबन्धन प्रणाली को आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली (Incient Response System (IRS) कहते हैं। आईआरएस के अन्तर्गत एक इन्सीडेण्ट कमाण्डर होता है ..... जिसके नीचे आकस्मिक प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं जैसे लाजिस्टिक, कार्य संचालन, नियोजन, सुरक्षा, मीडिया प्रबन्धन आदि में दक्ष अधिकारीगण होते हैं। इन सभी को मिलाकर एक इन्सीडेण्ट प्रबन्धन दल का गठन होता है, जो आपदा/आकस्मिकता का प्रबन्धन करता है।

यद्यपि कि भारत में राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव स्तर तक एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली है और आपदा प्रबन्धन के लिए प्रत्येक स्तर के अधिकारियों में समन्वय भी रहता है, लेकिन इसे और अधिक बेहतर बनाने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए इस प्रणाली में आई0आर0एस के सिद्धान्तों को शामिल करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आई0आर0एस0 में दिशा–निर्देशों को जारी किया है और ये दिशा–निर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं। आपदा स्थितियों के दौरान प्रशासनिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को इस आई0आर0एस0 का सन्दर्भ लेना चाहिए।

आपदा प्रबन्धन पर भारत सरकार की नीतियों के अनुसार, मौजूदा प्रशासनिक प्रणाली में आई0आर0एस0 को एकीकृत किया जा रहा है और प्रत्येक जिले में जिले स्तर के अधिकारियों को आकस्मिकता प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देकर आई0आर0एस0 टीम को स्थापित किया जायेगा। सभी स्तरों पर संयुक्त संचालन कक्ष के जुड़ाव के साथ नियोजन एवं कियान्वयन में तकनीकों एवं समकालीन प्रणालियों के उपयोग पर जोर दिया जायेगा।[1]

विभिन्न स्तरों पर संस्थागत ढांचा का स्वरूप निम्नवत् है –

राष्ट्रीय स्तर पर

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन | **राष्ट्रीय एकीकृत कार्य संचालन**

आपदा की स्थिति में प्रत्येक दिन 24 घण्टे निगरानी करने तथा चेतावनी जारी करने व सन्देश भेजने हेतु कार्यरत केन्द्र

राज्य स्तर पर

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/आपदा भामन एव प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड

राज्य आकस्मिक कार्य संचालन केन्द

आपदा की स्थिति में प्रत्येक दिन 24 घण्टे निगरानी करने तथा चेतावनी जारी करने व सन्देश भेजने हेतु राज्य स्तर पर कार्यरत केन्द्र, जिसका प्रबन्धन एसडीएमए/डीएमएमसी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस केन्द्र का कार्य जिलों को चेतावनी जारी करने, पूर्व चेतावनी देने, जिले स्तर पर स्थापित ईएसएफ के अनुसार विभागों को सक्रिय करने व खोज, बचाव, निकासी एवं राहत कार्यों हेतु एनडीआरएफ/एसडीआरएफ से समन्वय स्थापित करना होता है।

जिले स्तर पर

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जिला आकस्मिक कार्य संचालन केन्द

आपदा की स्थिति में प्रत्येक दिन 24 घण्टे निगरानी करने तथा चेतावनी जारी करने व सन्देश भेजने हेतु जिले स्तर पर कार्यरत केन्द्र है। जिसका प्रबन्धन आपदा के दौरान डीडीएमए द्वारा जिले में गठिन ई0एस0एफ के अनुसार जिले स्तर के विभागों, एस0डी0आर0एफ/पुलिस/अग्निशमन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा

राज्य एवं जिला स्तर पर लोक निर्माण विभाग

आकस्मिकता के दौरान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र के निर्देशन व समन्वयन में अपनी ई0एस0एफ0 के अनुसार कार्य करेगा।

आपदा के दौरान विभाग का आकस्मिक सहायता कार्य (ESF)

[1] SOP of Gov of H.P

6 पूर्व चेतावनी

पूर्व चेतावनी के लिए नोडल एजेन्सी

किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले जोखिमों को कम करने में पूर्व चेतावनी प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस राज्य, जिले, विभाग या संगठन की पूर्व चेतावनी प्रणाली जितनी अधिक तत्पर एवं सक्रिय होगी, उस राज्य, जिले, विभाग या संगठन का आपदा के सन्दर्भ में जोखिम उतना ही कम होगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली उपर से नीचे एवं नीचे से उपर दोनों दिशाओं में काम करनी चाहिए अर्थात् समुदाय को आपदा से बचाव हेतु पूर्व तैयारी करने में प्रशासन स्तर से प्राप्त पूर्व चेतावनी या सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं तो प्रशासन को भी स्थानीय जानकारियों एवं उसके अनुरूप अपना नियोजन करने के लिए समुदाय से सूचनाएं लेना आवश्यक अंग है। पूर्व चेतावनी प्रणाली को हम निम्न ढांचे में देख सकते हैं –

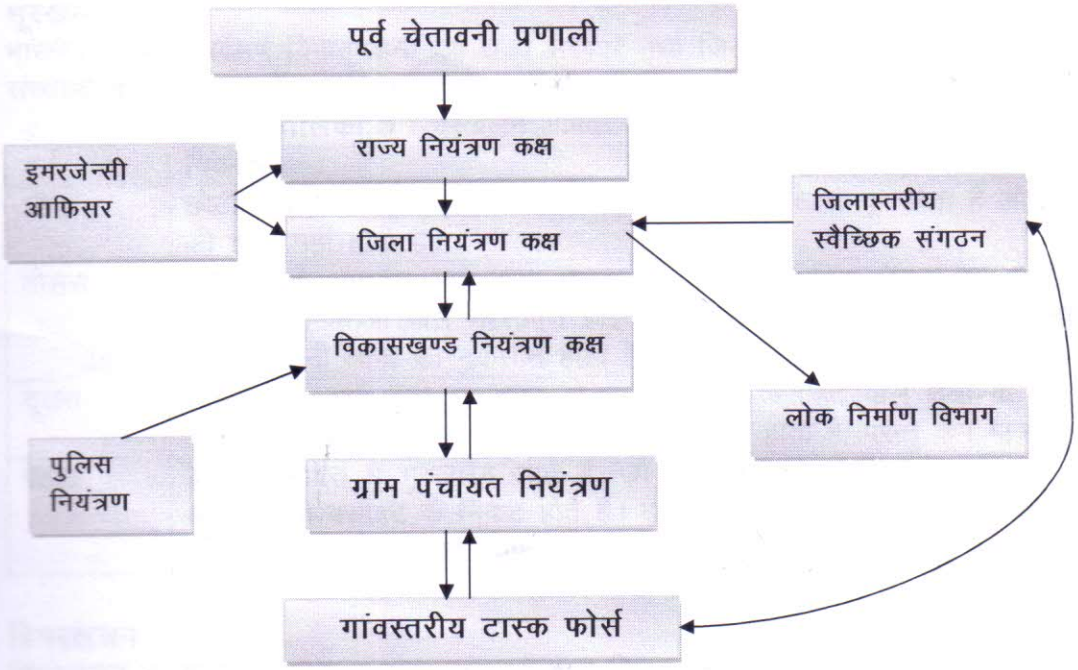

विभिन्न आपदाओं के दौरान प्रारम्भिक चेतावनी देने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं निम्नवत् हैं –

तालिका 1 : विभिन्न आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी देने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं

आपदाए	अधिकृत संस्था
बाढ़	केन्द्रीय जल आयोग
भारी वर्षा / बादल फटना, भूस्खलन	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
हिमस्खलन	हिम व हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान
लू एवं शीतलहर	भारतीय मौसम विभाग

भारत सरकार द्वारा आपदाओं की तीव्रता एवं तीव्रता के स्तर के आधार पर खतरे की चेतावनी को वर्गीकृत किया गया है। खतरावार विभिन्न आपदाओं का विवरण निम्नवत् है –

भारी वर्शा / बाढ़ / त्वरित बाढ़

केन्द्रीय जल आयोग ने सभी प्रमुख नदी घाटियों के लिए दक्षिण–पूर्व मानसून सीजन के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सभी नामित पदाधिकारियों व एजेन्सियों को बाढ़ सम्बन्धित सूचनाएं तथा दैनिक जल बुलेटिन देने हेतु बाढ पूर्व चेतावनी स्टेशनों तथा दैनिक जल बुलेटिनों का एक नेटवर्क निम्नलिखित वर्गों में विकसित किया है –

तालिका 2 : बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

वर्ग	विवरण
चौथा	न्यून बाढ़ (चेतावनी स्तर एवं खतरे के निशान के बीच में जलस्तर)
तीसरा	मध्यम बाढ़ (0.50 मीटर से नीचे जलस्तर, उच्च बाढ़ स्तर से कम एवं खतरे के निशान से उपर)
दूसरा	उच्च बाढ़ (उच्च बाढ़ स्तर से कम जलस्तर लेकिन उच्च बाढ़ स्तर के 0.50 मीटर पर)
पहला	असाधारण बाढ़ (उच्च बाढ़ स्तर के बराबर अथवा उससे उपर जलस्तर)

भूस्खलन

भारतीय भूर्गभीय सर्वेक्षण विभाग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के सभी अधिकृत अधिकारियों एवं संस्थाओं को भूस्खलन से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी निम्नलिखित श्रेणियों में जारी करता है –

तालिका 3 : भूस्खलन आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

वर्ग	विवरण
चौथा	छोटी तीव्रता का भूस्खलन, जिसका प्रभाव स्थल बसाहट से दूर होता है और इसमें जन–धन की हानि नहीं होती है।
तीसरा	इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाला भूस्खलन अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता का होता है और इससे ढांचागत सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण हाइवे एवं सड़कें, रेल मार्ग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं, बिजली, पानी आदि का नुकसान होता है।
दूसरा	इस वर्ग में आने वाले भूस्खलन के प्रभाव क्षेत्र में बसाहट वाले क्षेत्रों के किनारे बसे लोग आते हैं, परिणामतः मानव एवं सम्पत्ति का नुकसान होता है, परन्तु कम मात्रा में
पहला	इसके अन्तर्गत वे भूस्खलन आते हैं, जो आबादी वाले क्षेत्रों जैसे – शहरी इलाके अथवा अधिक घनी बसाहट के निकट होते हैं। ऐसे स्लाइड्स पर कोई भी गतिविधि करने से मानव जीवन एवं सम्पत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है।

हिमस्खलन

हिमस्खलन के सन्दर्भ में केन्द्र व राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन के सभी नामित अधिकारियों एवं एजेन्सियों को चेतावनी जारी करने हेतु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, चंडीगढ़ का हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान जिम्मेदार है। हिमस्खलन से सम्बन्धित श्रेणी निर्धारण निम्नवत् है –

तालिका 4 : हिमस्खलन आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

वर्ग	विवरण	चरण
कम	आम तौर पर यह अनुकूल परिस्थिति होती है। इस स्थिति में बहुत अधिक भार वाले तथा अत्यन्त ढलान वाले क्षेत्रों में ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में घाटी में जन–जीवन सुरक्षित रहता है। ढलानों पर चलते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।	पीला
मध्यम	यह आंशिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति होती है। सर्वाधिक हिमस्खलन प्रभावित ढलानों एवं अतिरिक्त भार वाले स्थानों पर इसके प्रकोप की अधिक संभावना रहती है। इसका प्रकोप घाटी में भी हो सकता है। इस स्थित में	पीला

	ढलानों पर अत्यधिक सावधानी के साथ जाना चाहिए। घाटियों में घूमते वक्त सर्तकता बरतनी चाहिए तथा खड़ी ढलानों पर विचरण से बचना चाहिए। यात्रा मार्गों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए।	
उच्च	यह प्रतिकूल परिस्थिति होती है। हिमस्खलन की संभावना वाले सभी क्षेत्रों में इसका खतरा होता है। घाटी वाले क्षेत्रों में भी इसका अधिक प्रकोप रहता है। ऐसे समय में सभी प्रकार की गतिविधियां रोक देनी चाहिए। इस समय एयरबोर्न हिमस्खलन की संभावना भी होती है।	नारंगी
चारों तरफ	यह बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति होती है। सभी संभावित हिमस्खलन ढलानों पर बड़े हिमस्खलन होने की संभावना रहती है। इसका प्रकोप मामूली खड़े ढलानों पर भी हो सकता है। ऐसे समय में सभी प्रकार की गतिविधियां रोक देनी चाहिए। इस समय एयरबोर्न हिमस्खलन की संभावना भी होती है।	लाल

भूकम्प

भूकम्प आपदा का पूर्वानुमान करना अथवा उसकी पूर्व चेतावनी संभव नहीं है। फिर भी, भूकम्प और झटके का पता लगाना तथा उनकी निगरानी करना संभव है। भारतीय मौसम विभाग भारत सरकार की नोडल एजेन्सी है, जो पूरे देश में और आस–पास के क्षेत्रों में भूकम्पीय गतिविधियों की निगरानी करता है। भारतीय मौसम विभाग ही भूकम्प के तुरन्त बाद भूकम्प स्रोत के मापदण्डों का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है और राहत एवं पुनर्वास के लिए उत्तरदायी केन्द्र एवं राज्य की सभी सम्बन्धित एजेन्सियों को जानकारी भी प्रदान करता है। भारतीय मौसम विभाग की यह भी जिम्मेदारी है कि वह भूकम्प की जानकारी सार्वजनिक सूचना चैनल, प्रेस, मीडिया को देगा तथा अपने वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

तालिका 5 : भूकम्प आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

वर्ग	विवरण	चरण
कम तीव्रता	रिक्टर पैमाने पर 5.0 से अधिक	पीला
मध्यम तीव्रता	रिक्टर पैमाने पर 5.0 से अधिक परन्तु 7.0 से कम	नारंगी
उच्च तीव्रता	रिक्टर पैमाने पर 7.0 से अधिक	लाल

राज्य में आपदाएं

उत्तराखण्ड राज्य में समग्र तौर पर भारी वर्षा एवं बादल फटना, भूस्खलन एवं अचानक आने वाली बाढ़ मुख्य आपदाएं हैं। जबकि राज्य को दो भागों – मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र में बांट कर देखें तो मैदानी क्षेत्र जहां लू एवं शीतलहर की आपदा को झेलता है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में शीतलहर एक आपदा के तौर पर है। राज्य के कुछ भागों जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में हाल के दिनों में बर्फबारी भी एक नयी आपदा के रूप में सामने आ रही है।

विभाग की दृष्टि से मुख्य रूप से – भूस्खलन, अचानक बाढ़ या बादल फटना व भूकम्प ये ऐसी प्रकृतिजनित आपदाएं हैं, जिनके कारण विभाग को प्रत्येक वर्ष क्षति उठानी पड़ती। इन आपदाओं के कारण राज्य के किसी न किसी जिले में प्रतिवर्ष क्षति होती है, कभी–कभी जब ये आपदाएं भयंकर रूप ले लेती हैं, उस स्थिति में विभागीय क्षति बहुत अधिक होती है। फिर भी विभाग द्वारा चिन्हित संवेदनशील जनपदों में– पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी व बागेश्वर ऐसे जिले हैं, जहां पर भूस्खलन व बादल फटने जैसी घटनाएं मानवजाति ही नही अपितु जीव जन्तुओं के लिये भी बडी तबाही का कारण बनती हैं। कुछ मैदानी इलाकों जैसे हरिद्वार आदि जगहों में बाढ़ एवं जल–भराव भी सड़कों एवं पुलों को क्षतिग्रस्त करने का कारण बनती है।

7 उत्प्रेरक तंत्र

उत्प्रेरक तंत्र के अन्तर्गत उस स्थिति की बात की जाती है, जिसमें कोई भी आपदा आने की स्थिति में चेतावनी मिलने पर अथवा किसी भी तरह की सूचना मिलते ही रिस्पान्स करने हेतु सभी विभाग अथवा आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र स्वयं से सक्रिय हो जाये। इस मानक संचालन प्रक्रिया में जिन गतिविधियों का चिन्हीकरण किया गया है, वे आपदा के प्रभाव को समाप्त करने अथवा नुकसान को कम करने की दिशा में बिना समय गंवाये स्वतः स्फूर्त की जाने वाली हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्प्रेरक तंत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपदा आने की स्थिति में उसकी तीव्रता पर नियंत्रण तथा स्थिति के प्रबन्धन के लिए स्वआदेशित तरीके से कार्य हो। अलग–अलग स्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्प्रेरक तत्व भिन्न–भिन्न हो सकते हैं अर्थात् जहां पर पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता होती है, वहां पर उत्प्रेरक तंत्र अलग होंगे, जबकि जिन स्थानों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली काम नहीं करती, वहां के लिए अलग उत्प्रेरक तंत्र की बात की जायेगी।

अ) पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता होने की स्थिति में –

- प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करना तथा आपदा के बारे में भावी संभावनाएं प्रसारित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेन्सियां अधिकृत हैं। ये नोडल एजेन्सियां आपदा के पूर्वानुमान के आधार पर संभावित खतरे की पूर्व सूचना राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र तथा गृह मंत्रालय को निर्धारित प्रोटोकाल के तहत् देंगी।
- नोडल एजेन्सियों से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र तथा गृह मंत्रालय परिस्थितियों पर नजर रखेंगे, तथा राज्य एवं जिले स्तर की इमरजेन्सी आपरेशन केन्द्रों व अन्य अधिकृत पदाधिकारियों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी करेंगे।
- स्थिति की गम्भीरता के आधार पर राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र द्वारा राज्य आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र तथा जिला आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र तथा अन्य अधिकृत पदाधिकारियों को राज्य एवं जिले स्तर पर स्थापित इमरजेन्सी आपरेशन केन्द्र को पूर्णतया सक्रिय करने हेतु सूचित किया जायेगा।
- राज्य एवं जिले स्तर के इमरजेन्सी आपरेशन केन्द्र राज्य से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रशासनिक तंत्र को अपने उपलब्ध मानव एवं अन्य संसाधनों के साथ आपदा की स्थिति में रिस्पान्स करने हेतु तत्पर रहने का निर्देश देंगे।
- आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित समुदायों के लिए चेतावनी का प्रसारण कराना तथा आपदा संभाव्य क्षेत्र से उनकी सुरक्षित निकासी सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होगा।
- जिले स्तर पर कोई ऐसा संवाद तंत्र स्थापित किया जाये, जिससे लोगों तक वास्तविक सूचनाएं अपने सही स्वरूप में पहुंच जाये।
- एक बार चेतावनी जारी हो जाने के बाद समुदाय को आपदा के बारे में नवीनतम सूचनाओं से अपडेट करते रहने हेतु लगातार चेतावनी दिया जाना होगा।
- चेतावनी जारी करते समय चेतावनी हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले

> कम समय में अधिक लोगों तक आपदा एवं उसके खतरे से सम्बन्धित चेतावनी या सूचना प्रसारित करने हेतु कुछ विशिष्ट आपदाओं के सन्दर्भ में कुछ विशिष्ट उपायों को अपनाया जा सकता है। जैसे आग लगने की स्थिति में अलार्म बजाना, उद्योगों के कारण उत्पन्न हुई आपदा की स्थिति में सायरन बजाना, बाढ़ एवं भूस्खलन की स्थिति में जन प्रसारण प्रणालियों जैसे रेडियो, टेलीवीजन, लाउडस्पीकर्स के जरिये बोलकर अथवा झण्डा फहराकर लोगों को सतर्क व सचेत किया जा सकता है।

शब्दों के उपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चेतावनी की भाषा सरल हो तथा उसमें एक सामान्य व्यक्ति की समझ में आ सकने वाले साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया हो।

- आपदा आने की संभावना के मद्देनजर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों से आपदा स्थल खाली कराने का कार्य किया जायेगा। इस हेतु राज्य एवं जिले स्तर पर एक व्यापक आदेश निर्गत किया जायेगा तथा सभी आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर ली जायेंगी।
- इसके पश्चात् सभी स्तरों पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों, पदाधिकारियों को आपदा आने की स्थिति में रिस्पान्स करने हेतु तैयार रहने हेतु फालो–अप कार्य किया जायेगा।
- आपदा एवं पूर्व तैयारियों से सम्बन्धित स्थायी आदेशों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जायेगी तथा समीक्षित स्थाई आदेश सभी सम्बन्धितों के बीच प्रसारित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष मानसून आने से पहले तहसील एवं जिले स्तर पर समुदाय की सहभागिता के साथ आपदा संभावित स्थल से निकासी का कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

ब) पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता न होने की स्थिति में –

ऐसे स्थानों पर जहां प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित कोई भी पूर्व चेतावनी प्रणाली काम नहीं कर रही है, वहां पर तत्काल स्तर पर निकासी एवं राहत कार्यों के लिए एक निश्चित प्रक्रिया के तहत् काम करने के लिए उत्प्रेरक तंत्र की भूमिका होती है। इन स्थितियों में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जायेगा –

- फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले लोगों तथा नोडल विभागों द्वारा जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को घटना के बारे में सूचित किया जायेगा।
- घटना से निपटने हेतु जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर पूर्णतया सक्रिय हो जायेगा।
- राज्य जिला आपदा प्रबन्धन/आपदा शमन एवं प्रबन्धन केन्द्र/राज्य इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को घटना की सूचना जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर/जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी और उनसे मदद की मांग की जायेगी।
- राज्य इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर सक्रिय होगा तथा राष्ट्रीय इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को सूचित करेगा। राष्ट्रीय इमरजेन्सी आपरेशन केन्द्र को यहीं से प्रथम सूचना मिलेगी।
- सूचना मिलते ही त्वरित रिस्पान्स दलों, खोज एवं बचाव दलों, स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल दलों आदि का गठन किया जायेगा।
- जिलाधिकारी स्वयं स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा समन्वयन, आदेश एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे।
- इन्सीडेण्ट रिस्पान्स टीम का गठन किया जायेगा।
- स्थितियों की समीक्षा के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धितों की बैठक बुलाई जायेगी।
- आपदा से होने वाले नुकसान के त्वरित आकलन के लिए दल का गठन किया जायेगा।
- विद्युत, संचार, परिवहन आदि से सम्बन्धित कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए सम्बन्धित विभाग/एजेन्सियां सक्रिय हो जायेंगी।
- आपदा प्रभावितों को फौरी तौर पर राहत प्रदान करने की दृष्टि से खाद्य सामग्री, पेयजल आदि की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- तत्पश्चात् रिस्पान्स एवं राहत कार्यों की निगरानी करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक सम्बन्धित द्वारा फालोअप गतिविधि की जायेगी।

8

विभिन्न चरणों के अन्तर्गत विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य के दिशा-निर्देश

रोक-थाम एवं शमन

किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु रोक–थाम एवं शमन के उपाय काफी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। ये वो गतिविधियां होती हैं, जो लम्बे समय तक चलने वाली होती हैं और जिन्हें विभाग की विकासात्मक गतिविधियों के साथ समाहित किया जा सकता है। राज्य के अन्तर्गत सड़क, पुल–पुलियों एवं भवन आदि बनाने, रख–रखाव एवं प्रबन्धन की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होती है। अतः इस विभाग द्वारा अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ–साथ अन्य कुछ ऐसे उपाय अपनाये जा सकते हैं, जो आपदाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन गतिविधियों को विभाग की सामान्य रूप से चलने वाली विकासात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना अनिवार्य है। इन उपायों के अन्तर्गत उन बिन्दुओं को रखा जाता है, जो आपदा के प्रभाव को कम करने की दिशा में काम करते हैं और विभाग व समुदाय की आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये गतिविधियां विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष भर निरन्तर की जाती हैं और इन्हें सम्पादित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था विभिन्न मदों से की जाती है।

रोक–थाम एवं शमन के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियां निम्नवत् हैं –

गतिविधियां	जिम्मेदारी	समय
जल निकासी हेतु पुलों व पुलियों का विस्तार करना। इससे पानी कम लगने के कारण प्रत्येक वर्ष सड़क टूटने से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकेगा।	जिले स्तर पर अधिशासी अभियन्ता	आवश्यकतानुसार
आपदा कम करने की दृष्टि से विधायक व सांसद स्तर से आने वाले प्रस्तावों पर– – स्टीमेट तैयार करना – स्टीमेट की जांच करना – तत्पश्चात् पूर्णतः तैयार स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता को भेजना – वहां से अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) या जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जाना – सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को भेजना सुनिश्चित करना।	कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय)	आवश्यकतानुसार

पूर्व तैयारी

आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में दूसरा प्रमुख चरण पूर्व तैयारी का होता है। जिस विभाग/समुदाय की पूर्व तैयारी जितनी अच्छी होती है, वह आपदाओं के प्रभावों को कम करने में उतना ही अधिक सक्षम होता है। पूर्व तैयारी के अन्तर्गत तात्कालिक तौर पर किये जाने वाले वे कार्य समाहित होते हैं, जो आपदा आने की

संभावित अवधि से एक से दो माह पूर्व सम्पन्न कर लिये जाते हैं। विभाग की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की पहचान कर कॉनिक स्लाइडों की पहचान किया जाना, मशीनों की की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा सम्बन्धितों से सम्पर्क करने हेतु उनका मोबाइल नं0 तथा आवास का पता रखना, वहां के लिए विभाग से सम्बन्धित आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण समय से सुनिश्चित कर आपदा की स्थितियों को बहुत हद तक नियन्त्रित कर सकता है। इन पूर्व तैयारियों को अपनाकर विभाग के उपर आपदाओं के पड़ने वाले प्रभावों तथा विभागीय क्षति को कम से कम किया जा सकता है। विभाग स्तर पर की जाने वाली पूर्व तैयारियां निम्नवत् हैं –

गतिविधियां	जिम्मेदारी	समय
विभाग के अन्दर डिवीजन स्तर पर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन कर प्रत्येक में एक–एक नोडल अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करना ताकि अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। (जिला स्तर पर गठित आपदा प्रबन्धन अभिकरण से इस आशय का एक पत्र आने पर डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता फील्ड स्टाफ को मिलाकर आपदा टीम का गठन करते हैं।)	अधिशासी अभियन्ता	मई तक
बाढ़, भूस्खलन व त्वरित बाढ़ के लिए आई0आर0एस0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे – नियोजन, लाजिस्टिक एवं आपरेशन विंग में सक्षम अधिकारियों को नामित व तथा अन्य कार्मिकों को चिन्हित कर उसकी सूचना राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना (शासनादेश सं0 1501/XVIII–(2)/16–13(5)/2007 दिनांक : 21 जून, 2016)	अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	मार्च तक
मानसून से पहले खण्डीय कार्यक्षेत्र को चार या पांच सेक्टरों में विभाजित करना सुनिश्चित करना।	अधिशासी अभियन्ता	मार्च तक
विभागीय क्षति को समय से पूरा करने के लिए ठेकेदार, मजदूरों की पहचान कर नाम, पते व सम्पर्क नम्बरों सहित उनकी सूची तैयार रखना।	अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	मार्च–अप्रैल तक
विभागीय क्षति को समय से पूरा करने के लिए ठेकेदार, मजदूरों की पहचान कर नाम, पते व सम्पर्क नम्बरों सहित उनकी सूची तैयार रखना।	अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	मार्च तक
चिन्हित ठेकेदारों के साथ पूर्व में ही टेण्डर कर लेना सुनिश्चित करना।	अधिशासी अभियन्ता	फरवरी/मार्च तक
टेण्डर के आधार पर पंजीकृत ठेकेदारों से उपकरण व मानव संसाधन किराये पर लेकर विभाग के पास रखना सुनिश्चित करना।	अधिशासी अभियता	निरन्तर
चिन्हित ठेकेदारों के अतिरिक्त बड़े–बड़े संसाधनों जैसे जेसीबी मशीन, कटर, ट्रकों आदि के मालिकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त इन संसाधनों की सहायता ली जा सके।	अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	अप्रैल, जून, अक्टूबर, जनवरी
विभागीय स्तर पर उपलब्ध मशीनों एवं गाड़ियों की देख–रेख करना।	अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक)	अप्रैल, जून, अक्टूबर, जनवरी
वाहनों एवं मशीनों के लिए डीजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेना।	जिलापूर्ति अधिकारी	मानसून से पहले

एक दो मानूसन पहले बनी सड़कों के नाजुक क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये।	सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता	मानसून से पहले
विभाग के अन्दर आने वाले व एक दो मानसून पहले बने राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गो के आपदा की दृष्टि से संवदेनशील स्थलों की पहचान करना एवं रोडमैप तैयार करना।	अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता	मानसून से पहले
विभाग के अन्दर आने वाले राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों की मरम्मत सुनिश्चित करना।	अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता	मानसून से पहले
भूस्खलन प्रभावित जोनों के चिन्हित मार्गों की स्वीकृति एवं आवंटित धनराशि के अनुरूप यथासम्भव मरम्मत सुनिश्चित किया जाना एवं आवश्यक चेतावनी बोर्ड लगाया जाना।	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	मानसून से पहले
व्हाट्स–अप ग्रुप के माध्यम से आपदा प्रबन्धन समिति से जुड़ना व नियमित सम्पर्क में रहना ताकि समय से सूचनाएं मिल सकें।	अधिशासी अभियन्ता	अप्रैल–मई
सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की नाम, पते व सम्पर्क नं0 सहित सूची तैयार करना, अद्यतन करना व जिला प्रशासन को सौंपना	अधिशासी अभियन्ता	अप्रैल
दूसरे डिवीजन के साथ तालमेल व समन्वय स्थापित करना व आपदा की स्थिति में मशीनों एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराना।	अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता	निरन्तर

रिस्पान्स

रिस्पान्स के अन्तर्गत आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। रिस्पान्स की गतिविधियों की सफलता विभाग की पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है। विभाग द्वारा रिस्पान्स के दौरान मुख्य रूप से निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जाती हैं –

गतिविधियां	जिम्मेदारी	समय
आपदा संभावित मार्गों पर मेठ व बेलदार की नियमित गश्ती सुनिश्चित करना।	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	तत्काल
गैंगमैनों व लोकल तकनीकी–गैर तकनीकी स्टाफ को सूचित करना।	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	तत्काल
मार्गों पर गिरे पेड़ों को सहायक अभियन्ता स्तर से सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर अथवा विभागीय संशाधनों से हटाना सुनिश्चित करें।	कनिष्ठ अभियन्ता	तत्काल
पेड़ गिरने की सूचना द्वारा सम्बन्धित जे0ई को दिया जाना।	मेठ व बेलदार	तत्काल
निकट स्थित मशीनों के चालकों को सूचित करना और उन्हें वहां पर पहुंचाना सुनिश्चित करना।	सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता	तत्काल
सड़क पर पड़े मलवे को हटवाना व यातायात व्यवस्था को सुचारू करना विभागीय बजट के अर्न्तगत/संशाधनो से।	सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता	तत्काल
बड़ी आपदा होने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा मांग करने पर मशीनों को भेजकर अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी	अधिशासी अभियन्ता	तत्काल

काम करना।		
आपदा के दौरान आपदा कन्ट्रोल रूम से नियमित सम्पर्क में रहना व स्थिति की सूचना देना।	अधिशासी अभियन्ता अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी	निरन्तर

पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन

आपदा के पश्चात् अस्त–व्यस्त सामाजिक जन–जीवन तथा विभाग के कार्यों को पटरी पर लाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होती है। इस चरण के अन्तर्गत मुख्य तौर पर किये जाने वाले कार्य निम्नवत् हैं –

गतिविधियां	जिम्मेदारी	समय
क्षति का आकलन करना।	कनिष्ठ / सहायक अभियन्ता	आपदा के तुरन्त बाद
क्षति का आगणन तैयार कर एस0डी0एम0 को भेजना।	कनिष्ठ / सहायक अभियन्ता	आपदा के तुरन्त बाद
नियमानुसार क्षति की मरम्मत का कार्यादेश / अनुबन्ध गठित कर निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण करना।	कनिष्ठ / सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता	आपदा के तुरन्त बाद
जिलाधिकारी को दी गयी सूचनाओं की प्रति सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को किया जाना।	अधिशासी अभियन्ता	आपदा के दौरान एवं बाद में

संलग्नक 1

ई0एस0एफ0 : लोक कार्य

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
भारी वर्षा, त्वरित बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प	उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग	राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन, एम0ई0एस0
विभाग	**जिम्मेदारी**	**रिस्पान्स के लिए गतिविधियां**
लोक निर्माण विभाग	विभाग के अन्दर आने वाले व एक दो मानसून से पहले बने राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गो की आपदा की दृष्टि से संवदेनशील स्थलों की पहचान करना एवं रोडमैप तैयार करना।	आपदा संभावित मार्गों पर मेट व बेलदारों की नियमित गश्ती सुनिश्चित करना।
	विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों की सामान्य मरम्मत का कार्य विभागीय बजट की उपलब्धता होने पर अथवा विभागीय गैंग अथवा संशाधनों द्वारा सुनिश्चित करना।	सम्बंधित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को अवगत करना।
	विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों में मानसून में मलवा आने पेड गिरने पर मार्ग को विभागीय गैंग अथवा विभागीय संशाधनों द्वारा यातायात हेतु खोला जाना एवं मार्ग अवरूद्द होने की सूचना खण्डीय कार्यालय को देना।	सम्बंधित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता
	विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों में मानसून में मार्ग का कटाव होना, धंस जाना अथवा बह जाने पर तुरन्त विभागीय गैंग अथवा विभागीय संशाधनों द्वारा यातायात हेतु खोला जाना एवं मार्ग अवरूद्द होने की सूचना खण्डीय कार्यालय को देना तथा मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु आगणन गठित कर अधिशासी अभियंता को प्रेषित करना।	सम्बंधित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता
	भूस्खलन जोनों एवं खतरनाक स्थानो को पहले से चिन्हित करना व उनकी पहले से मरम्मत करना तथा चेतावनी बोर्ड लगाया जाना एवं सुरक्षित यात्रा के उपाय करना।	मार्गों पर गिरे पेड़ों को हटाने हेतु सहायक अभियन्ता स्तर से सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करना अथवा विभागीय संशाधनों द्वारा हटाया जाना।
	व्हाट्स–अप ग्रुप के माध्यम से आपदा प्रबन्धन समिति से जुड़ना व नियमित सम्पर्क में रहना ताकि समय से सूचनाएं मिल सकें।	पेड़ गिरने की सूचना मेठ व बेलदार द्वारा सम्बन्धित जे0ई0 को दिया जाना।
	सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की नाम, पते व सम्पर्क नं0 सहित सूची तैयार करना, अद्यतन करना व जिला प्रशासन को सौंपना।	निकट स्थित मशीनों के चालकों को सूचित करना और उन्हें वहां पर पहुंचाना सुनिश्चित करना।

	सड़क पर पड़े मलबों को हटाना व यातायात व्यवस्था को सुचारू करना।	सड़क पर पड़े मलबों को हटाना व यातायात व्यवस्था को सुचारू करना।
	बड़ी आपदा होने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा मांग करने पर मशीनों को भेजकर अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी काम करना।	बड़ी आपदा होने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा मांग करने पर मशीनों को भेजकर अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी काम करना।
	आपदा के दौरान आपदा कन्ट्रोल रूम से नियमित सम्पर्क में रहना व स्थिति की सूचना देना।	आपदा के दौरान आपदा कण्ट्रोल रूम से नियमित सम्पर्क में रहना व स्थिति की सूचना देना।
	आपदा के दौरान आयी कमियों को दूर करने के लिए ठेकेदार एवं मजदूरों की पहचान करना व उनकी सूची पता सहित तैयार रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त बुलाया जा सके।	वायुमार्ग से राहत एवं पुनर्स्थापन कार्य सुनिश्चित करने हेतु हेलीपैड तैयार करने हेतु स्थानों को तैयार किया जाये।
	मिट्टी खुदाई करने वाले उपकरणों की आपूर्ति हेतु प्राइवेट सेवाप्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करना।	
	आपदा की प्रकृति के अनुसार विभिन्न उपकरणों जैसे जेसीबी, क्रेन,रॉक ड्रिल मशीनों आदि ले जाने हेतु स्टाफ को उपलब्ध कराया जाये।	
सहयोगी विभाग	आपदाग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन एवं मशीनों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहयोगी विभागों की भी होगी।	

संलग्नक 2

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 1501 / XVIII–(2) / 16–13(5) / 2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 21 जून, 2016

विषय– मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, त्वरित बाढ, भूस्खलन एवं नदियों का जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप विशेष सतर्कता बरतने एवं पूर्व तैयारी रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में दक्षिण–पश्चिम मानसून के कारण मानसून अवधि में होने वाली भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़, बादल फटना, अतिवृष्टि एवं नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण अत्यधिक जन–धन की हानि एवं सार्वजनिक / निजी परिसम्पत्तियों की क्षति की संभावना के दृष्टिगत संभावित आपदाओं हेतु पूर्व तैयारी एवं राहत व बचाव कार्यों हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

उक्त के संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मानसून अवधि में आपदा के बेहतर प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण उपायों हेतु आपदा पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. समय–समय पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाय व उनके कार्यवृत्त शासन को उपलब्ध कराये जाय।
2. जनपदों में प्राथमिकता के अनुसार भूस्खलन, बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवदेनशील स्थलों का चिन्हींकरण कर उक्त स्थानों के निकटतम वैकल्पिक शरण स्थलों व आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे स्थानों से नियमित सूचनायें प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।
3. मानसून अवधि में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों तथा बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाए व इनके लिये उपलब्ध कराये गये समस्त उपकरणों का रख–रखाव सुनिश्चित करा लिया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आपदा प्रबन्धन प्रयोजनों हेतु निर्मित जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु न किया जाय। इस हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमानुसार पर्याप्त अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाए।
4. वर्तमान में आपदा प्रतिक्रिया के लिय Incident Response System (IRS) लागू किया गया है। बाढ, भूस्खलन व त्वरित बाढ के लिए आई0आर0एस0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप यथा Planning , logistic एवं Operation विंग में सक्षम अधिकारियों को नामित कर दिया जाय एवं उसकी सूचना राज्य आपाताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करा दी जाय। अन्य कार्मिकों को भी चिन्हित करके रखा जाय।

1

प्रसार किया जाए। प्रत्येक ग्राम स्तर तक नदी, गदेरो, नालों तथा अन्य प्राकृतिक जल वहन क्षेत्रों में बनाये गये आवासीय व अन्य भवनों की मार्किंग सुनिश्चित करायी जाय तथा सम्बन्धित परिवार/सम्पत्ति स्वामी व प्रधान ग्राम सभा व स्थानीय निकाय को भी ऐसी सूची संज्ञान व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

13. बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एकजुटता के साथ निपटा जाए तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत शिविरों, चिकित्सा सुविधाओं एवं खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था पूर्व तैयारी के अंतर्गत सुनिश्चित करा ली जाए। आवश्यक राहत सामग्री व राहत शिविरों में प्रयोग होने वाली सामग्री के लिये Pre Tendering करा कर अति आवश्यक सामग्री के लिये क्रय की पूर्व प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सामग्री तत्काल उपलब्ध रहे।

14. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र 24 घंटे खुला रहता है। अतः किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की सूचना तत्काल ई–मेल seoc.dmmc@gmail.com व दूरभाष संख्या–1070, 0135–2710334 तथा फैक्स संख्या–0135–2710335, 2712058 पर उपलब्ध करा दी जाए। सम्बन्धित आपदा प्रबन्धन अधिकारी प्रतिदिन जनपद में घटित आपदाओं की सूचना प्रातः 9.00 बजे एवं सायं 5.00 बजे राज्य आपदा परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। जनपद में आपदा घटित न होने की स्थिति में शून्य सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य में आपदा सूचना के लिये संचालित टॉल फ्री नम्बर–1070 एवं 1077 का भी पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये।

15. समस्त जनपदों में मुख्य तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा से पूर्व तथा आपदा के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु बनायी गई योजना का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छ पानी के लिये क्लोरीन टैबलेट आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

16. जनपद, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर राहत शिविरों के लिये चिन्हित भवनों की स्थिति का आंकलन कर लिया जाये तथा अतिरिक्त राहत शिविरों की व्यवस्था की जाए।

17. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन तथा निजी संस्थानों के जनपद में उपलब्ध रोगी वाहन, मोबाइल हैल्थ वाहनों यथा– EMRI 108 का सहयोग लिया जाए।

18. जनपद तथा मण्डल स्तर पर आपदा के दौरान सेना, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., पी.ए.सी. तथा अन्य पैरामिलिट्री दलों के साथ समन्वय स्थापित किया जाय।

19. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदियों के जल प्रवाह/जलस्तर एवं दैनिक वर्षा से संबन्धित सूचनाएँ आपदा प्रबन्धन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाए तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तैयार की जाने वाली दैनिक/नियमित आख्याओं में वर्षा एवं जलप्रवाह संबन्धित सूचनाओं का समावेश अवश्य किया जाए।

20. मौसम विभाग द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से मौसम संबन्धित सूचनायें प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) व अन्य संबन्धित विभागों द्वारा टिहरी जलाशय एवं जल प्रवाह की स्थिति की सूचना जनपद एवं राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से प्रेषित की जानी सुनिश्चित करते हुए निरन्तर अनुश्रवण एवं सुरक्षा व बचाव हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

3

22. मानसून अवधि में विषम परिस्थितियों को छोड़कर आपदा कार्य से जुड़े एव समय–समय पर प्रशिक्षण प्राप्त समस्त विभागों के अतिआवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश प्रदान न किया जाए।

23. खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को आवश्यक उपकरणों सहित आपदा सम्भावित क्षेत्रों के समीप स्थित थानों/चौकियों में तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जायें। आपदा उपरान्त किये जाने वाले खोज एवं बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन को सहयोग दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित व उपकरणों से सुसज्जित दलों को मानसून अवधि में संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने की कार्यवाही की जा रही है। तैनाती की स्थिति में इन दलों के आवागमन हेतु जनपद प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये एवं उक्त अवधि में इनके आवास हेतु तैनाती स्थल के समीप स्थित सरकारी/सामुदायिक भवनों में व्यवस्था की जाये व इन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–150 (1)/ XVIII-(2)/14-13(5)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. विभागाध्यक्ष, सिंचाई, लो0नि0वि0, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राज्य मौसम केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 17, ई.सी. रोड, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टी.एच.डी.सी., ऋषिकेश।
11. अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।
13. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
14. अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, 156, बसन्त बिहार, फेज–1, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव

4

संलग्नक 3

विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधन

संलग्नक 4

क्षति आकलन दल का प्रारूप